गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

शमन स्वीकृति–पत्र

पत्रांक : 463/प्रवर्तन(जोन-1)/17 दिनाँक : 17-5-17

सेवा में,

मै॰ ए॰आर॰ बिल्डटैक प्रा॰लि॰
आफिस–9/2/7, जज कालोनी,
सेक्टर–9, वैशाली, गाजियाबाद।

विषयः–खसरा सं॰–348, 349 व 350 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर स्वीकृत मानचित्र सं॰–1720/जीएमपी/जी॰एच॰/09–10 के सापेक्ष आप द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवनों के निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनाँक 10.04.17 शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनाँक 21.04.17 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं॰–343/प्रवर्तन जोन–1/17 दिनाँक 25.04.17 के क्रम में शमन शुल्क कुल धनराशि रू॰ 3,18,466.00 (तीन लाख अट्ठारह हजार चार सौ छियासठ), निरीक्षण शुल्क रू॰ 72,400.00, प्लान फीस रू॰ 1,30,234.00 एवं अतिरिक्त विकास शुल्क रू॰ 14,96,400 अर्थात् कुल धनराशि रू॰ 20,15,100.00 (बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ मात्र) दिनाँक 24.04.17 को प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है। उक्तानुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

1. आप द्वारा वर्तमान के लिए लेबर सेस के मद में रू॰ 97,000.00 जमा किया गया है। रसीद एवं हलफनामा संलग्न है। लेबर सेस के मद में यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो पूर्णता प्रमाण–पत्र के पूर्व श्रम विभाग में जमा करनी होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
2. लेबर सैस की गणना चीफ इन्कम टैक्स कमीशनर द्वारा पंजीकृत आंकलनकर्ता द्वारा किये जाने पर यदि शुल्क परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित गणनानुसार शुल्क सम्बन्धित विभाग में जमा करना होगा एवं नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
3. स्वीकृति, शमन के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
4. फायर तथा अन्य विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। अग्निशमन विभाग से उपकरणों के क्रियाशील होने का अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही पूर्णताः प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
5. भवन के स्ट्रक्चरल/स्टेबिललटी सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
7. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आंतरिक विकास कार्यों को हैण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
8. पीने के पानी के लिए भूगर्भ जल प्रयोग करने की दशा में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
9. सैटबैक में निर्मित अग्निशमन वाटर टैंक व पम्प के ऊपर स्लैब की डिजाइन फायर टेण्डर व अन्य वाहन को चलाने पर भार सहन योग्न होनी चाहिए।
10. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अन्य समस्त कार्य जैसे–सीवर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, आदि के कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
11. पार्किंग का उपयोग शमन के अनुसार ही होगा।
12. नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के प्राविधान का पालन करना होगा।
13. एन॰जी॰टी॰ एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर एथॉरिटी के आदेश के क्रम में निर्माण हेतु भू–गर्भ–जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा, निर्माण हेतु एस॰टी॰पी॰ के ट्रीटेड वाटर का ही प्रयोग किया जायेगा।
14. अतिरिक्त शर्तें शमन मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक :– शमन मानचित्र की प्रतियाँ।

भवदीय
17/5/17

(ए॰पी॰राव)
अवर अभियन्ता

(आर॰पी॰ सिंह)
सहायक अभियन्ता,
प्रवर्तन जोन–1